

कार्यालय पंचायत समिति सरमथुरा जिला धौलपुर

कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम

01.	क्या सी.सी. में कार्य का नाम, योजना का नाम, कार्यकारी संस्था का नाम अंकित है?	जी हाँ
02.	क्या सी.सी. में कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति का सही विवरण अंकित है?	जी हाँ
03.	निर्माण कार्य तकमीने से भिन्न हो तो क्या कार्य हेतु संशोधित स्वीकृति जारी का विवरण अंकित है।	कार्य तकमीना अनुसार है।
04.	क्या वित्तीय स्वीकृति के विरुद्ध दी गई अग्रिम राशि का विवरण अंकित है? क्या उक्त अग्रिम राशि रिकॉर्ड के अनुसार है एवं उक्त राशि में से पूर्व में किये गये समायोजन का विवरण रिकॉर्ड के अनुसार है।	जी हाँ
05.	क्या ग्रामीण कार्य निर्देशिका के बिन्दु संख्या 22.0 के समस्त उप बिन्दुओं की अनुपालना की गई है।	जी हाँ
06.	क्या ग्रामीण कार्य निर्देशिका के बिन्दु संख्या 18.0 के समस्त बिन्दुओं का ध्यान रखा गया है? यदि नहीं तो कारण मय औचित्य के अंकित करें।	ध्यान में रखा गया है।
	I. क्या कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है?	जी हाँ
	II. क्या कार्य सम्बन्धित योजना में अनुमत है ?	जी हाँ
	III. क्या कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र में वर्णित राशि कार्य की स्वीकृत राशि की सीमा में है?	जी हाँ
	IV. क्या कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है?	जी हाँ
	V. क्या कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा जांच कर प्रमाणित किया गया है?	जी हाँ
	VI. क्या कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र अनुमत राशि के लिए है ?	जी हाँ
07.	I. क्या कार्य पर व्यय की गई राशि वित्तीय स्वीकृति अनुसार है ?	जी हाँ
	II. क्या कार्य की मूल्यांकन राशि वित्तीय स्वीकृति की सीमा में है?	जी हाँ
	III. क्या कार्य की अनुमत राशि वित्तीय स्वीकृति की सीमा में है?	जी हाँ
08.	सी.सी. में पी.आई.ए. यह भी प्रमाणित करें कि सी.सी. में अंकित व्यय राशि में कोई भी गैर अनुमत राशि शामिल नहीं है। इसके अभाव में (आवश्यकतानुसार) एब.बी. की प्रमाणित प्रति संलग्न की जावे, ताकि एम.बी. की जांच उपरान्त समायोजन हेतु अनुशंसा की जा सके। कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ उपर्युक्त प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा अन्यथा एम.बी. की प्रति भी गैर अनुमत राशि शामिल नहीं है।	सी.सी. में अंकित व्यय राशि में कोई भी गैर अनुमत राशि शामिल नहीं है
09.	क्या पूर्ण कार्य का इन्द्राज परिसम्पत्ति रजिस्टर में कर लिया गया है?	जी हाँ
10.	कार्य के सम्बन्ध में प्रमाणित किया जाता है कि :-	

- प्राप्त कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र का कार्य की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति से मिलान कर लिया गया है कार्य योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार हुआ है तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र समायोजन योग्य है।
- कार्य के सम्बन्ध में ग्रामीण कार्य निर्देशिका तथा तत्सम्बन्धी नियमों का पालन हुआ है।
- सी.सी. का नियंत्रण पंजिका में समायोजन हेतु प्रविष्टि कर ली गई है।
- यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र का पूर्व में समायोजन नहीं हुआ है।

कार्यालय पंचायत समिति सरमथुरा जिला धौलपुर

कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र

(पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद द्वारा)

ग्राम पंचायत पंचायत समिति - सरमथुरा जिला धौलपुर (राजस्थान)

01. कार्य का नाम
02. योजना का नाम कार्यकारी संस्था
03. प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक दिनांक
04. तकनीकी स्वीकृति क्रमांक दिनांक
05. वित्तीय स्वीकृति क्रमांक दिनांक
06. स्वीकृत राशि
07. कार्य शुरू करने की दिनांक
08. कार्य पूर्ण होने की दिनांक
09. कार्य पर व्यय लेखे के अनुसार
श्रम मद नगद गेहू की मात्रा गेहू की राशि कुल राशि
सामग्री मद
कुल राशि
10. मूल्यांकन के अनुसार
श्रम मद नगद गेहू की मात्रा गेहू की राशि कुल राशि
सामग्री मद
कुल राशि

11. अनुमत राशि (नकद राशि गेहू की मात्रा गेहू की राशि कुल राशि
प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कार्य का माप एवं मूल्यांकन ग्रामीण कार्य निर्देशिका -2010 के अनुसार किया गया है। उपर्युक्त किये गये कार्य का मूल्यांकन उपर्युक्त बिन्दु संख्या 9 में उल्लेखित है, जिसका उपयोग कर स्वीकृत कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कार्य की फोटो ली जाकर संलग्न कर दी गई है। उक्त कार्य के माप का इन्द्राज माप पुस्तिका संख्या पृष्ठ संख्या पर कर दिया गया है।
अनुमत राशि (नकद राशि गेहू की मात्रा गेहू की राशि कुल राशि
.....) समायोजन योग्य है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सृजित परिसम्पत्ति को दिनांक को कार्यकारी संस्था के द्वारा विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है तथा प्राप्त करने वाले विभाग के सक्षम अधिकारी से रसीद प्राप्त कर ली है। इस कार्य का परिसम्पत्ति के लिए संधारित विकास पंजिका रजिस्टर में क्रम संख्या पर इन्द्राज कर लिया गया है।

हस्ताक्षर
सक्षम अधिकारी
(कार्यकारी संस्था)

मूल्यांकन जांच प्रमाण-पत्र

(पैरा 20.4 में उल्लेखित सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया जावेगा)

उपर्युक्त पूर्णता प्रमाण पत्र की जांच कर प्रमाणित किया जाता है कि कार्य का मूल्यांकन ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के अनुसार किया गया है। कार्य का निष्पादन ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के मापदण्डों एवं तकमीने के अनुसार हुआ है। कार्य के माप एवं मूल्यांकन को सत्यापित किया जाकर इस कार्य पर अनुमत राशि (नगद राशि गेहू की मात्रा गेहू की राशि कुल राशि के समायोजन की अभिशप्ता की जाती है।

(नाम)

(हस्ताक्षर सक्षम प्राधिकृत अधिकारी)

पदनाम एवं कार्यालय का नाम vikrammitra.in